

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण का जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेरकाराज ने जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब मय इकबालिया राजीनामा पेश किया गया। संक्षेप में स्टेट को वादी का वाद स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी व वादी एवं प्रतिवादीगण को राजीनामे अनुसार वाद स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने से एवं वादी वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।


निर्णय

रोही ग्राम लिखमीदेसर दिखणादा के खेत खसरा नंबर 637/269 तादादी 0.1900 हैक्टेयर की तरमीम राजस्व नक्शा अक्स में विक्रय पत्र एवं काब्जा काश्त के अनुसार करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.3.2021 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।




(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी कार
श्रीडूंगरगढ (बिकानेर)

